वाक्यार्थ के सिद्धांत के रूप में अभिहितान्वयवाद

आभा झा
स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग,डी एस पी एम् यू,राँची

वाक्यार्थ बोध के संदर्भ में भारतीय भाषा विश्लेषकों ने दो प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया है -अभिहितान्वयवाद तथा दूसरा अन्विताभिधानवाद. मीमांसा दर्शन के दो प्रमुख संप्रदायों में इन दोनों सिद्धांतों का विस्तृत विवरण मिलता है | प्रभाकर मीमांसा अन्विताभिधानवादी है तो भट्ट मीमांसा अभिहितान्वयवादी है। इन दोनों सिद्धांतों को मीमांसा दर्शन की देन माना जाता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक ऋषि जैमिनी के सूत्र 'मीमांसा सूत्र ' पर शबर स्वामी ने भाष्य लिखा जिसे शाबर भाष्य कहा जाता है। शबरस्वामी की मान्यता है कि किसी वाक्य का अर्थ खंड रुप में जानने के पश्चात ही अखंड अर्थ जाना जा सकता है।शबर की इस मान्यता को प्रभाकर स्वीकार नहीं करते .उनके अनुसार वाक्य का अखंड अर्थ ही अभिहित होता है .वह खंड अर्थ पर आधारित नहीं है .इनके अनुसार वक्ता किसी विचार को वाक्य के रूप में ही अभिव्यक्त करता है. और वह अभिव्यक्ति पदों के अन्वित तथा संबद्ध होने पर ही होती है तथा श्रोता भी पदों की अन्विति द्वारा ही अर्थ ग्रहण करता है .

किंतु शबर की बातों का समर्थन कुमारिल तथा उनके अनुयायियों ने किया है. कुमारिल की मान्यता है कि वाक्यों में प्रयुक्त पदों के अर्थ स्वतंत्र और निरपेक्ष होते हैं . वे असम्बद्ध होते हैं . पदों की अभिधा शक्ति उनसे निर्देशित साक्षात संकेतित अर्थों को बतलाती है. इन अर्थों में आकांक्षा,

Dr. Abha Jha

योग्यता, तात्पर्य द्वारा अन्वय स्थापित किया जाता है. इस अन्वय के पश्चात ही वाक्य का अर्थ अभिहित होता है. इसीलिए कुमारिल के इस विचार को अभिहितान्वयवाद कहा जाता है. इस विचार के अनुसार वाक्य का अखंड अर्थ उसके खंड अर्थ पर निर्भर करता है। पहले वाक्य के अवयव अर्थात पदों का अलग-अलग अर्थ जाना जाता है, पुनः उन्हें परस्पर संबंध या अंवित किया जाता है. अन्विति के पश्चात ही वाक्य का अर्थ जाना जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रयोग किए गए शब्द या पद सापेक्ष नहीं होते बल्कि निरपेक्ष और स्वतंत्र होते हैं। इसलिए उनके अर्थ भी निरपेक्ष और स्वतंत्र होते हैं। शब्दकोश के सभी शब्दों का अर्थ निरपेक्ष होता है सापेक्ष नहीं .अतः वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ भी निरपेक्ष होते हैं. उदाहरण के लिए ' गाय लाओ' .यहाँ 'गाय' और' लाओ' दोनों शब्द एक दूसरे से पृथक हैं. 'गाय' संज्ञा सूचक पद है और 'लाना' क्रिया बोधक पद है. इन दोनों पदों में संबंध स्थापित होने के पश्चात ही वाक्य का अर्थ जाना जाता है. कुमारिल कहते हैं, 'घड़ा लाओ' इस उदाहरण में' घड़ा' का अर्थ मात्र मिट्टी से बना एक बर्तन है। इसका अन्य पद के अर्थ से संबंध नहीं है। इसी प्रकार 'लाओ' शब्द का अर्थ भी एक स्वतंत्र क्रिया का बोध कराता है। यह अर्थ भी अन्य पद से संबंध नहीं बनाता. 'घड़ा' शब्द के सुनने से घड़ा के विषय में उत्पन्न जिज्ञासा की पूर्ति ' लाओ ' शब्द के सुनने से होती है. इन दोनों शब्दों में आकांक्षा द्वारा सम्बन्ध स्थापित होता है . इसी प्रकार सन्निधि और योग्यता भी साथ-साथ पाई जाती है. ' घड़ा' और 'लाओ' दोनों शब्दों में वह योग्यता है कि इनका उच्चारण साथ साथ होता है तो इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है और श्रोता वक्ता के तात्पर्य को समझ लेता है. इस प्रकार वाक्यार्थ वाक्य में प्रयोग किये गए पदों के स्वतंत्र अर्थों के परस्पर संबद्ध होने पर ज्ञात होता है . इस दृष्टिकोण से अनुसार वाक्य सावयव होते हुए भी अन्वित अर्थ प्रदान नहीं करते बल्कि स्वतंत्र अर्थों के संबंधित होने पर वाक्यार्थ अभिहित होता है.

Dr Abha Jha

अभिहितान्वयवाद के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा सूचक शब्द का अर्थ उसमें प्रयुक्त क्रियासूचक शब्द के अर्थ के साथ जुड़कर ही वाक्य का अर्थ संभव हो । जैसे -'गाय उजली है ।' इस वाक्य में 'गाय' और 'उजला' दोनों के अर्थ स्वतंत्र और अलग-अलग हैं । 'गाय' संज्ञा बोधक पद है तथा' उजला' गुणवाचक पद है । दोनों के अर्थ स्वतंत्र अलग-अलग हैं । गाय का अर्थ 'गोत्व' अर्थात गो सामान्य है तथा उजला का अर्थ उजलापन या उजला सामान्य है. ये दोनों सामान्य प्रत्यय हैं ।संसार की सभी गायें 'गाय' ही कहलाती है .इसी प्रकार संसार की सभी उजली वस्तुओं में उजलापनया या उजला सामान्य निहित है .इसलिए प्रत्येक उजली वस्तु उजली ही कहलाती है . सामान्य प्रत्यय होने के कारण शब्दों के अर्थ नियत होते हैं । वाक्य में प्रयुक्त शब्दार्थों का संबंध भी नियत होता है और इसलिए वाक्यार्थ नियत होते हैं. इस प्रकार वाक्यार्थ का आधार जाति या सामान्य है ना कि जाति विशिष्ट व्यक्ति है. शब्द का संकेतित अर्थ जाति ही है किंतु उस जाति के साथ अविनाभाव रूप से रहने वाले व्यक्ति का भी बोध हो जाता है । जाति शब्द की अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात होती है तो व्यक्ति का ज्ञान शब्द की लक्ष्णा शक्ति से होता है । जाति में ही व्यक्ति अंतर्विभावित है । जाति द्वारा ही वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ अभिव्यक्त होता है .इसका का तात्पर्य है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों में संसर्ग शक्ति नहीं होती है बल्कि पदों के अर्थ में यह शक्ति वर्तमान होती है । यही कारण है कि अभिहितान्वयवाद शब्द के विशिष्ट अर्थ को स्वीकार नहीं करता है बल्कि स्वरूप मात्र अर्थात अविशिष्ट या असम्बद्ध अर्थ को स्वीकार करता है ।

समीक्षा- वाचस्पति मिश्र इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यदि वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ ही परस्पर संसर्ग का बोध कराने में सक्षम है तो वाक्यार्थ बोध के लिए पदों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है । और यदि वाक्य बोध शब्द की अंतर्निहित शक्ति से उत्पन्न नहीं होता है

Dr Abhajha

बल्कि शब्द के अर्थ की शक्ति अर्थात अभिधा या लक्षणा से उत्पन्न होता है तो वाक्यार्थ का यह ज्ञान शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं रह कर किसी नए प्रमाण के अंतर्गत रखा जाएगा जिसे पदार्थ प्रमाण कहा जाना चाहिए । किंतु मीमांसा दर्शन में पदार्थ प्रमाण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है. यहां प्रमाण छः ही माने गए हैं. इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थों का संसर्ग बोध होने पर जो वाक्यार्थ होता है वह पदों के अर्थों के परस्पर संबद्ध होने पर ही होता है. फिर भी पदों के संकेतित अर्थ को जानने के के लिए पदों के प्रयोग की आवश्यकता होती है .अतः वाक्यार्थ बोध का आधार पद ही हैं और इसलिए वाक्यार्थ बोध के लिए पदार्थ प्रमाण की आवश्यकता नहीं है यह शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही आता है|

.....

Dr.Abha Jha